न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

क्रमांक – रीडर/2017/ 1882 दिनांक 28/7/17

प्रेषित :–

तहसीलदार सेड़वा

विषय :– राजस्व आवेदन सं. 228/17 अनवान लक्ष्मण वगैरा बनाम तुलछाराम वगैरा में अन्तर्गत धारा 251 ए में निर्णय की पालना करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उपरोक्त अनवान में निर्णय दिनांक 15.07.2017 को पारित किया गया है। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.07.2017 की पालना करते हुए पालना रिपोर्ट की सूचना 15 दिवस में पेश करे।

सलंग्न – निर्णय की प्रमाणित प्रति।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –श्री भागीरथराम,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन :– 228/17 अन्तर्गत धारा 251 'ए' Rt Act

प्रार्थीगण :– 1. लक्ष्मण 2.भींया 3.प्रहलाद पि. नाथाराम जाति जाट,
निवासी बाधा, हाल आलू का तला, तहसील सेड़वा।

बनाम

विप्रार्थीगण :– 1.तुलछाराम पुत्र आदूराम 2.मानी पत्नि तुलछाराम
जाति जाट, निवासी बामड़ला डेर, हाल आलू का तला, तहसील सेड़वा।
3.तहसीलदार सेड़वा।

वकील प्रार्थीगण :– **श्री फताराम गोदारा**

विप्रार्थीगण वकील :–

निर्णय

दिनांक 15.07.2017

प्रार्थीगण लक्ष्मण पुत्र नाथाराम वगैरा जाति जाट, निवासी आलू का तला, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी / संशोधन अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण सदभावी काश्तकार है। प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत खसरा सं. 65 रकबा 49.00 बीघा मौजा आलू का तला, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर में स्थित है। प्रार्थीगण द्वारा निर्धारित फार्म में आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि उसकी उक्त जोत पर आने जाने हेतु विप्रार्थीगण के खसरा सं. 64 रकबा 49.05 बीघा मौजा आलू का तला के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। अतः प्रार्थीगण को रास्ता दिया जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को नोटिस जारी किये गए तथा प्रार्थीगण के अधिवक्ता के निवदेन पर तहसीलदार को मौका रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत / कोर्ट कैम्प सेड़वा में दिनांक 15.07.17 को पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। तहसीलदार चौहटन से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जो पत्रावली शामिल की गई। मौका रिपोर्ट वकील प्रार्थीगण द्वारा स्वीकार की गई। वकील प्रार्थीगण को सुना गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अध्ययन अवलोकन किया गया।

चुंकि प्रस्तुत आवेदन एवं मौका रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है और यह केवल सुविधा जनक उपभोग के लिए नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा रास्ते की मांग की गई है। इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है। जैसा कि मौका रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रार्थीगण के खेत से गांव , आबादी, बस स्टेशन , स्कूल आदि तक आवागमन का कोई अन्य रास्ता नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

अतः प्रार्थीगण की मांग उचित प्रतित होती है और प्रार्थीगण को जो रास्ता दिया जाना है न्याय संगत है। प्रार्थीगण को जिन खसरों से रास्ता दिया जाना हैं। उसका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	खसरा संख्या	रकबा बीघा	किस्म	रास्ते की चौड़ाई फीट में	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि बीघा	मौजा	खातेदार का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	64	49.05	गै.मु. धोरा	20	01.03	आलू का तला	तुलछाराम वल्द आदूराम, मानीदेवी पत्नि तुलछाराम, कौम जाट, सा.बामड़ला डेर

तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय फर्द मौका रिपोर्ट एवं सलंग्न मौका नक्शा ट्रेस व फर्द मौका में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रार्थीगण द्वारा वर्णित उपरोक्त खसरा के अंदर से जो रास्ता चाहा गया है वह आंशिक नक्शा इस में लाल रंग से दर्शाया गया 20 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण को दिया जाता है और इस प्रस्तावित नए मार्ग में कोई मकान व कीमती पेड़ और न ही किसी प्रकार का बेरा/टांका बना हुआ है।

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी/संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) (a) में स्पष्ट है कि अगर समझौते से क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं होता है तो जिला स्तरीय कमेटी/ डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थीगण को रास्ता दिया जा सकता है। और अन्य कोई पेड़ फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

प्रस्तुत आवेदन में प्रस्तावित नए रास्ते में कोई मकान व कोई कीमति पेड़ या अन्य कोई संरचना नहीं है। अतः प्रभावित (पक्षकारों) / विप्रार्थीगण को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में प्रार्थीगण द्वारा देय होगी और प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित पक्षकारों को दी जाने वाली राशि नए रास्ते के लिए प्रस्तावित समाविष्ट भूमि के रकबे की डीएलसी द्वारा निर्धारित दर से दौगुणा राशि के बराबर होगी। डीएलसी द्वारा निर्धारित निर्णय दिनांक की ही मान्य होगी और इसी आधार पर प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण/प्रभावित पक्षकारों को भुगतान करना अनिवार्य होगा।

प्रार्थीगण के आवेदन की गंभीरता व आत्यांतिक आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1) – (b) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द मौका एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस लाल रंग से दर्शाया गया 20 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण के पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। मौका रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस व फर्द मौका निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे। तथा प्रार्थीगण को उपरोक्त खसरान में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :–

1. तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में सलंग्न मौका नक्शा ट्रेस में लाल रंग दर्शाया गया प्रस्तावित नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे 01.03 बीघा की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित (लागू) डीएलसी 35500/– रूपये प्रति बीघा की दो गुणा राशि 81650 रूपये /– बनते है।

जिसको तहसीलदार विप्रार्थीगण को नियमानुसार वितरित कर सात दिवस में रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी। जिसमें प्रत्येक पक्षकार को देय राशि की अलग अलग गणना की जायेगी।

2. तहसीलदार द्वारा गणना उपरान्त बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित पक्षकारों (विप्रार्थीगण) को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में किया जो डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा के बराबर होगी।

3. प्रार्थीगण द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थीगण (प्रभावित पक्षकारों) को प्रदान करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। तहसीलदार द्वारा इस बात का विनिश्चय किया जाएगा कि विप्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हो चुकी है। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर क्षतिपूर्ति राशि लेने से इनकार करता हो तो प्रार्थीगण द्वारा यह राशि तहसीलदार को प्रस्तुत की जावेगी । क्षतिपूर्ति राशि तहसील में जमा करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। जिसे तहसीलदार द्वारा विप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही की जावेगी।

4. नए प्रस्तावित 20 फीट रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "**रास्ता**" के रूप में अभिलिखित की जायेगी। जो कि सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रयुक्त होगा।

5. प्रार्थीगण को उक्त 20 फीट चौड़े रास्ते में केवल रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होंगे।

6. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरों में से कम करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तों की पालना के अध्याधीन ही प्रार्थीगण को नया तथा 20 फीट चौड़ा रास्ता दिए जाने का आदेश आज दिनांक 15.07.17 को दिया जाता है। निर्णय पालना हेतु तहसीलदार सेड़वा को लिखा जावें। पत्रावली फैसला शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 15.07.2017 को लोक अदालत कोर्ट कैम्प सेड़वा मे सुनाया गया।

(भागीरथराम)
उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.)
चौहटन

मौका-फर्द

आज दिनांक 15-7-17 को श्रीमान् न्यायालय सहायक कलक्टर वं उपखण्ड अधिकारी चौहटन के राजस्व अपील संख्या 228/17 अवदान लक्ष्मण वगैरा बनाम तुलछाराम वगैरा में मौजा आलु का तला में लक्ष्मण वगैरा के खातेदारी खसरा नम्बर 65 रकबा 49.05 बीघा में जाने हेतू धारा 251 ए के तहत् हमराह पटवारी हल्का चिपड़ासर वादी व अन्य मौतबिरान के साथ मौके पर पहुँचा।

ग्राम जाखड़ों की ढाणी से प्रार्थीगण के खातेदारी में पहुँचने हेतू तुलछाराम पुत्र आदुराम, मानीदेवी पत्नी तुलछाराम के खातेदारी ख० नं० 64 रकबा 49.05 गै.मु. धोरा में से पहुँचने हेतू निकटतम रास्ता है इससे नजदीक अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण प्रतिफल के रूप में प्राप्त होने वाली राशि जमा कराने हेतू सहमति प्रकट की है। मौका देखने पर दिये जाने वाले रास्ते के स्थान पर कोई ढाणी-बाड़ा, टांका व अन्य कोई कीमती पेड़ मौजूद नहीं है। ~~आ०~~ कुल लम्बाई के 1/4 हि० के भूमि में अनार की फसल बोई गयी है। अन्य भूमि खाली है। प्रस्तावित रास्ते का विवरण निम्न प्रकार है -

प्रपत्र

क्र० सं.	नाम खातेदार मय वल्दियत	खसरा नं.	खसरे का रकबा	रास्ते की चौड़ाई	रास्ते में समाविष्ट रकबा	डी.एल.सी. दर प्रति हैक्टेयर	रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत	भूमि की किस्म
1.	तुलछाराम वल्द आदुराम मानीदेवी पत्नी तुलछाराम कौम जाट सा. बामड़लाडेर	64	49.05	20	1.03	35500	40825	गै. मु. धोरा

प्रस्तावित भूमि ~~खाथा~~ मौजा के ख० नं० 223 की रास्ते हेतू समर्पित भूमि से जुड़कर प्रार्थीगण को रास्ता उपलब्ध कराया जायगा जिससे संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है। मौका फर्द पढ़कर सुनाई गयी। जिससे सही होना स्वीकार कर हस्ताक्षर व अंगुठे कराये गये।

Excount

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

पटवारी मण्डल चिपड़ासर

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

परसाराम

...शिक नक्शा ट्रेस
...ाम आलू का तला

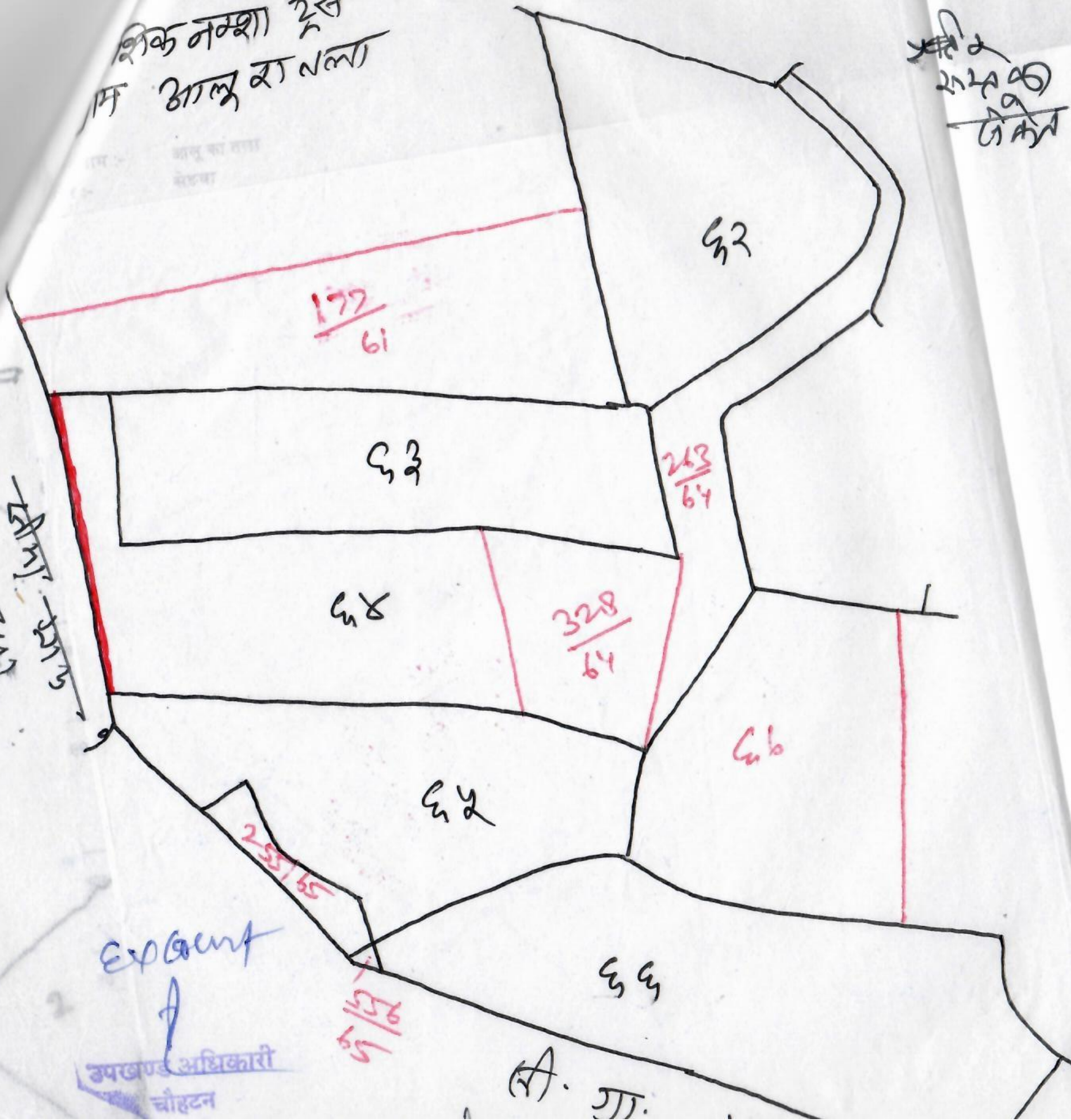

Exempt

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

तहसीलदार (भू. अ.) सेड़वा

राजकीय प्रयोजनार्थ
निःशुल्क